तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 102/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
13–5–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 19–6–2024 को मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईसकैण्डी का नमूना संख्या S-2351, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./940/Act/2024/986 दिनांक 25–6–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 09–5–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सुनिल कुमार "जैम आईस केण्डी" का मालिक था और आवेदक प्रतिवादी क कार्य स्थल पर आया था। प्रतिवादी की आईस कैण्डी मिलावटी नही थी और न ही कोई स्वास्थ्य को नुकसान कारित करने वाले किसी पदार्थ की कोई मिलावट आईस कैण्डी में थी। आईस कैण्डी जांच हेतु ली जाने का कथन सही है, लेकिन विधिवत सीलबन्द व सीलमुहर करने का कथन गलत है। प्रतिवादी अभियुक्त के समक्ष नमूना सिल मोहर लगा कर सिलबन्द करने की कार्यवाही नही की गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, लेकिन किसी फर्द पर कोई हस्ताक्षर प्रतिवादी ने नही किये थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी आईस कैण्डी को कार्यालय ले जाकर क्या कार्यवाही की गई इसकी जानकारी प्रतिवादी को नही है। जांच रिपोर्ट की प्रति भी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी को नही भेजी गई है। प्रतिवादी द्वारा स्टेण्डर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट का ही निर्माण कर विक्रय किया जाता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 19–6–2024 को समय 12–15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 102/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर एक फ्रीजर में खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी के 500 पीस आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी को भरकर दी एवं मैसर्स जैम आईस कैण्डी H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही की दुकान में फ्रीजर के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी के 500 पीस में से आईस कैण्डी के 40 पीस प्रतिवादी सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली भिगोने में कीमतन क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/– (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा आईस कैण्डी को प्रतिवादी विक्रेता एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20–6–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दिलीप सिंह यादव, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 102/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19–6–2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी से खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी (नमूना संख्या S-2351) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी के नमूना संख्या S-2351 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./940/Act/2024/986 दिनांक 25–6–2024 में खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ आईस कैण्डी (नमूना संख्या S-2351) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सुनील पुत्र श्री मुन्नालाल स्वामी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जैम आईस कैण्डी, H.G. International School Road, जैन मन्दिर के पास, मानुपर, आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13–6–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)